न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– स्वाति गुप्ता आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 054 / 2023

जगनसिंह पुत्र जगराजसिह जाति जटसिख निवासी नाईवाला तहसील टिबी जिला हनुमानगढ़।

– – प्रार्थी

बनाम

1. कुलदीप सिंह पुत्र करनैल सिंह पुत्र गगनसिंह जाति जटसिख निवासी नाईवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. रणजीतसिंह पुत्र करनैल सिंह पुत्र गगनसिंह जाति जटसिख निवासी नाईवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. तहसीलदार (राजस्व) एवं सबरजिस्ट्रार टिब्बी तहसील जिला हनुमानगढ़।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित अभिभाषकगणः–

1.	श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता	प्रार्थी
2.	श्री अब्दुल सतार जोईया अधिवक्ता	अप्रार्थी संख्या 1

निर्णय

दिनांक :– 09.05.2024

प्रार्थी द्वारा उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए. का प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक नम्बर 9 सी.डी.आर. के खाता संख्या 210 / 63 में कुल 11031 हैक्टर में से प्रार्थी का 1667 / 22062 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता करनैलसिंह का 152 / 3677 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का 506 / 11031 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 का 1489 / 11031 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1720 / 11031 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 का 1667 / 22062 प्रतिवादी संख्या 7 का 157 / 3677 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 का 506 / 11031 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 का 430 / 11031 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 का 925 / 11031 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 11 का 157 / 3677 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 12 का 157 / 3677 हिस्सा. प्रतिवादी संख्या 13 का 1919 / 11031 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित जमाबन्दी संलग्न प्रार्थनापत्र है।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का पिता ... है जिसके कानूनी व जायज वारीसान रिकॉर्ड पर है। प्रार्थना–पत्र की द... में प्राथी व प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 13 की अप्रार्थी संख्या 1 2 के पिता करनैलसिंह ... आराजी संयुक्त खाता में दर्ज है। पाथी की आराजी का ख... व 2 तथा प्रतिवादीगण 13 के साथ संयुक्त रहने से प्रार्थी प्रतिवादीगण संख्या 3 13 ... अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 मध्य आपस में कम राज जमा करवाने तथा कार के समय सीमा का विवाद बना रहता है व भविष्य में विवाद न हो इस सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इसलिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.17 10:33:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रार्थी प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी में से अपने हिस्सा की आराजी का खाता अच्छी मन्दी व रास्ता, खाला की सहुलियत के अनुसार तकसीम करवाकर रकम राज अलग से कायम करवाने का अधिकारी है।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का पिता करनैलसिह फौत हो चुका है तथा करनैलसिह के नाम से संयुक्त खाता में आराजी दर्ज चली आ रही है लेकिन अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 जो कि अपने पिता करनैलसिह के नाम से दर्ज आराजी का विरासतन नामान्तकरण करवाकर उक्त भूमि का बिना खाता विभाजन करवाये संयुक्त खाता की आराजी में से अपने हिस्सा की आराजी मे से अच्छी अच्छी भूमि को रहन, बैय करने पर आमादा तथा बार बार प्रार्थी को ऐलानियां धमकी दे रहे है कि हम आज कल में ही हमारे पिता करनैलसिह के नाम से दर्ज आराजी का विरासतन नामान्तकरण अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाकर अपने हिस्सा की आराजी को औने पौने दामों में बैचान कर देगें व उक्त भूमि का कब्जा दिगर व्यक्तियों को सौंप देवेगे तथा भूमि बैचान करने की बात भी हमने गाँव के किसी व्यक्ति से कर ली है, अगर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अपने इस गलत व विधि विरूद्ध कृत्य में कामयाब हो गये तो मुझ प्रार्थी को कभी ना पूरा होने वाला नुकसान होगा तथा प्रार्थी को मुकदमा बाजी में उलझना पडेगा । अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति, तीनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है। ताई में हल्फनामा प्रस्तुत है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अरथाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 इस आशय की जारी की जावे कि चक नम्बर 9 सी.डी.आर. के खाता संख्या 210/63 में कुल 11.031 हैक्टर में से करनैलसिंह के नाम से दर्ज आराजी को अप्रार्थीगण बिना खाता विभाजन करवाये रहन वैय तथा अन्य किसी प्रकार से अन्तरित करने व राजस्व रिकॉर्ड की मौजूदा रिथति में किसी प्रकार का परिवर्तन करवाने से ताफैसला दावा ममनू व बाज रहे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया प्रस्तुत कागजात का अवलोकन किया गया प्राथमिक दृष्टि से सन्तुष्ट होकर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद किया गया कि चक नम्बर 9 सी.डी.आर. के खाता संख्या 210/63 में अंकित कुल 11.031 हैक्टर आराजी में करनैल सिंह के नाम से दर्ज आराजी को बिना खाता विभाजन करवाए किसी प्रकार रहन बैय व मुन्तकिल से निषेध रहे एवम् आराजी कृषि भूमि में आगामी पेशी तक रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को जरिऐ रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये परन्तु अप्रार्थी संख्या 2 विधिवत तामील होने के उपरान्त भी स्वय या कोई प्लीडर हाजिर अदालत नही आने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 2 की और से जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि दरख्वास्त की दफा 1 कतई गलत, असत्य व मनघडत दर्ज की गई है, स्वीकार नही है। प्रार्थी ने गलत [illegible] आधार पर मुकदमा हाजा पेश किया है, जो प्रथम दृष्टया ही काबिल खारीजी [illegible] है। [illegible]ख्वास्त की दफा हाजा में दर्ज आराजी का विवरण मुताबिक [illegible]

दरख्वास्त की दफा हाजा में मुझ अप्रार्थी के [illegible] करनैल सिंह के फौत होने का कथन स्वीकार है । मुझ अप्रार्थी का भाई कुलदीप [illegible]ह, अपनी बुआ बलदेव कौर के गोद चला गया था, इसलिए कुलदीप सिह, स्व0 करनैलसिह का विधिक वारिस नही है। चक नम्बर 9 सीडीआर के जमाबन्दी खाता संख्या 26/24 में मुझ प्रार्थी के पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.17 10:33:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

करनैल सिह के नाम से दर्ज आराजी का विरास्तन इंतकाल मुझ प्रार्थी रणजीत सिह अकेले के नाम से बतौर वारिस कागजात माल मे हो चुका है।

दरख्वास्त की दफा हाजा में दर्ज कथन कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज प्रार्थी व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 13 की तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता करनैलसिह की आराजी सयुक्त खाता मे दर्ज है, का कथन स्वीकार है, शेष कथन कतई गलत, असत्य व मनघड़त दर्ज किये गये है, स्वीकार नही । संयुक्त खाता के सभी सहकाश्तकारान अपने अपने हिस्सा की आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है।

दरख्वास्त की दफा 5 में दर्ज कथन कि मुझ अप्रार्थी का पिता करनैलसिह फौत हो चुका है तथा करनैलसिह के नाम से संयुक्त खाता में आराजी दर्ज चली आ रही है तथा अप्रार्थी द्वारा अपने पिता करनैलसिह के नाम से दर्ज आराजी का विरास्तन नामान्तकरण दर्ज करवाने की कार्यवाही करने का कथन स्वीकार है, शेष कथन कतई गलत, असत्य व मनघडत दर्ज किया गया है, स्वीकार नही। मुकदमा हाजा में वर्णित आराजी में मुझ अप्रार्थी के पिता करनैल सिंह का 152/3677 हिस्सा का हक व हिस्सा है, मुझ अप्रार्थी का पिता करनैल सिंह फौत हो चुका है इसलिए प्रार्थी करनैलसिह के नाम से दर्ज आराजी का विरास्तन इंतकाल दज करवाने का कानूनी हकदार है तथा कानूनन भी किसी मृत व्यक्ति के नाम से कागजात माल में अंकन नही रह सकता। प्रार्थी ने अदालत हाजा के समक्ष गलत तथ्य पेश कर दिनांक 18.05.2023 को एकपक्षीय स्थगन आदेश हासिल किया जिसकी वजह से स्व0 करनैलसिंह के नाम से दर्ज आराजी का विस्तन इंतकाल नहीं होने के कारण मुझे अप्रार्थी को अपरिमेय क्षति हो रही है। प्रार्थी मुझे अप्रार्थी के हक व हित्ता की आराजी पर किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी व दावेदार नहीं है। कानूनन किसी सहकाश्तकार को उसके खातेदारी व विधिक अधिकारों से महरूम नहीं किया जा सकता। स्व० करनैल के नाम से दर्ज आराजी का विरास्तन इंतकाल न होने की वजह से प्रार्थी को वितीय संस्थाओं से ऋण सुविधाओं से महरून होना पड़ रहा है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन मुझे अप्रार्थी के पक्ष में है। ताईद में हल्फनामा पेश है।

लिहाजा जबाब दरख्वास्त पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निरस्त फरमाया जाकर अदालत हाजा द्वारा जारी एक पक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 18.05.2023 निरस्त फरमाया जावे।

प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही होनें पर, उभयपक्ष द्वारा बहस हेतु निवेदन किये जानें पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बहस की गई दौरान बहस प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा अपनें प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 इस आशय की जारी की जावे कि चक नम्बर 9 सी.डी.आर. के खाता संख्या 210/63 में कुल 11.031 हैक्टर में से करनैल[illegible] अप्रार्थीगण बिना खाता विभाजन करवाये रहन वैय तथा अन्य किसी प्र[illegible]रित करने व राजस्व रिकॉर्ड की मौजूदा स्थिति बाबत प्रा[illegible] वाद के निर्णय तक अप्रार्थी के नाम से विवा[illegible] निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.17 10:33:33 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस अपनें [illegible] प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने अदालत हाजा के समक्ष गलत तथ्य पेश कर दिनांक 18.05.2023 को एकपक्षीय स्थगन आदेश हासिल किया जिसकी वजह से स्व0 करनैलसिंह

Scanned with CamScanner

के नाम से दर्ज आराजी का निस्तारण मुकदमा नहीं होने के कारण मुझे आराजी की आर्थिक क्षति हो रही है। वादी मुझे आराजी के हक व हित की आराजी पर किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी व हकदार नहीं है। कानूनन किसी खातेदार/काश्तकार को उसकी खातेदारी व निजि अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। यह कथन भी गलत है कि दर्ज आराजी का निस्तारण मुकदमा न होने की वजह से वादी को विधिक संरक्षणों से अन्य सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन मुझे आराजी के पक्ष में है।

अतः विवादित आराजी का आसामी खातेदार है, जिस पर किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र वादी मय खर्चा खारिज किया जावे।

उभय पक्ष की समाअत बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। मेरे अवलोकन पाया मूल वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.ए. विभाजन हेतु वाद विचाराधीन है। इस कारण वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी खिलाफ अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के विरुद्ध दिनांक 18.08.2023 को जारी अस्थाई जिसके जरिये मूल वाद संख्या 097/2023 उनवान जगनसिंह पुत्र कुलदीपसिंह के अन्तिम निर्णय तक स्थाई (Confirm) किया जाकर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है, कि वह विवादग्रस्त भूमि को किसी प्रकार से रहन बेय व मुन्तकिल से निषिद्ध रहे। परन्तु उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा किसी भी काश्तकार के विधिवत नामान्तरकरण दर्ज करने पर लागू नहीं होगी।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.17 10:33:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner